• न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नाबालिग के विवाह को रोकने का आदेश विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन या किसी अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर पारित कर सकेगा।

• यदि न्यायिक दण्डाधिकारी को किसी स्रोत से स्वयं भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, तो भी वह विवाह को रोकने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

बाल विवाह को रोकना क्यों आवश्यक है :

• कम उम्र में विवाह होने से गर्भाधान के मामलों में वृद्धि होती है।

• समय पूर्व प्रसव की घटनायें बढ़ती हैं।

• कम उम्र की बालिकाओं पर असमय गृहस्थी का बोझ आ जाता है।

• कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।

• कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की प्रसव के दौरान मृत्युदर में वृद्धि होती है।

• कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं में गर्भपात और मृत प्रसव दर में वृद्धि होती है।

• कम उम्र में विवाह होने से शिशुमृत्यु दर एवं अस्वस्थ्यता दर में वृद्धि होती है।

• बाल विवाह होने से घरेलू हिंसा एवं लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि होती है।

बाल विवाह एक अभिशाप है।
इसे मिटाकर ही हम
एक स्वस्थ्य समाज की
स्थापना कर सकते हैं।

• इससे बच्चों के अवैध व्यापार एवं बालिकाओं की बिक्री में वृद्धि होती है।

• बाल विवाह से बच्चों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि होती है।

• बाल विवाह से बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण बढ़ता है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. **उच्च न्यायालय स्तर पर** – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. **जिला स्तर पर** – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. **तहसील स्तर पर** – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. **सदस्य सचिव,** म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर
द्वारा विज्ञापित

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

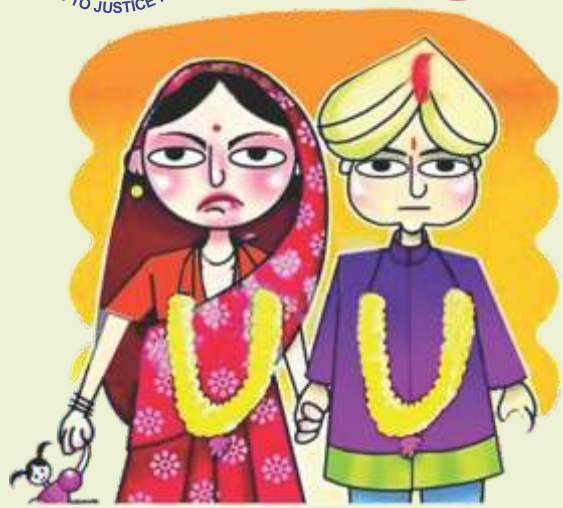

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in
ईमेल: mpslajab@nic.in
Toll Free - 15100

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

सर्वप्रथम 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। बाद में सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय–समय पर इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान में वर्ष 2006 में इसमें नवीन संशोधन किया गया। अतः अब इस विषय पर नवीनतम् कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है।

बाल विवाह :

बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की 21 वर्ष से पूर्व और लड़की की 18 वर्ष से पूर्व शादी की जाती है।

बाल विवाह हेतु दोषी :

यदि किसी बाल विवाह का आयोजन होता है तो जिस बालक या बालिका का विवाह हो रहा है:–

- उसके माता–पिता या संरक्षक बाल विवाह का दोषी होगा।
- यदि बालक या बालिका किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख में हो तो वह व्यक्ति बाल विवाह का दोषी होगा।
- वह व्यक्ति जो बाल विवाह को संपन्न करने में मदद करता है। (जैसे–पण्डित)
- वह व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है।
- वह व्यक्ति जो बाल विवाह में शामिल होता है। (जैसे–बाराती, रिश्तेदार आदि)

बाल विवाह के लिए दण्ड :

- बाल विवाह के आरोपियों को दो साल तक का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं।

विशेष :

- बाल विवाह कराने वाले (माता–पिता, रिश्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित, काजी आदि) भी हो सकता है जिसको तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह कानून के अंतर्गत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, उसे केवल जुर्माना भरना पड़ेगा।
- जिस व्यक्ति का बाल विवाह कराया जा रहा है। उसका कोई रिश्तेदार या परिचित बाल विवाह के बारे में पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत कर सकता है।
- बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करेगा। जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी दी जा सकती हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्त्तव्य :

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह को रोकने के लिए सभी समुचित कार्यवाही करेगा।

STOP CHILD MARRIAGE

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रमाण एकत्रित करेगा।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह रोकने के लिए समाज में जागरूकता लायेगा।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए राज्य सरकार किसी भी सम्मानित व्यक्ति, पंचायत के किसी अधिकारी या सरकारी या गैर सरकारी संस्था के व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।
- यदि किसी बालक या बालिका का बाल विवाह हुआ है, तो बालक होने की दशा में वह 21 वर्ष तथा बालिका होने की दशा में 18 वर्ष पूरा होने पर जिला न्यायालय में आवेदन देकर अपना विवाह शून्यकरणीय घोषित करा सकता/सकती है।
- बालिका के भरण–पोषण एवं रहने की व्यवस्था जिला न्यायालय द्वारा कराई जायेगी और बालक/पुरूष द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा।
- बालक/पुरूष यदि अवयस्क है तो ऐसा आदेश उसके अभिभावक के विरूद्ध किया जावेगा।
- बाल विवाह से उत्पन्न संतान की अभिरक्षा एवं भरण–पोषण के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा सकेगा।
- किसी भी तरह के अनुतोष के लिए जिला न्यायालय में ही आवेदन किया जावेगा।
- यदि नाबालिग का विवाह अभिभावक के संरक्षण से निकालकर, धोखे से या बलपूर्वक कराया जाये या उसका विवाह उसे बेचने के लिए किया गया हो, तो ऐसा विवाह शून्य होगा।